न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
21.02.2024	पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से पत्रांक कमांक/भू.अ./24/2023 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली किए गए। वकील वादीगण ने प्रकरण में तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से बहस सुनी जाकर प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में बहस अंतिम सुनी गयी। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:35 IST
Reason: SelfAttested

21/02/24

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी

श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर जिला नीमकाथाना राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
62 / 2023	2023 / 458	30.05.2023	21.02.2024 (अन्तिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. ओमप्रकाश सिंह पुत्र समुन्द्रसिंह
2. गोपालसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह
3. दयालसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह
4. विक्रमसिंह उर्फ गिरधारीसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह
5. संग्रामसिंह पुत्र समुन्द्रसिंह

उपखण्ड अधिकारी ★ श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

—— वादीगण——

बनाम्

1. गोविन्दसिंह पुत्र मांगूसिंह
2. रामप्रताप सिंह पुत्र दातारसिंह
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र दातारसिंह

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:35 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
21/02/24

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

4. सुमन कंवर पुत्री दातारसिंह

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

5. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

6. शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

7. शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा मऊ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

8. शाखा प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जिला सीकर

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

श्री लोकेन्द्र सिंह, एड0 वादीगण अभिभाषक।

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 05 की ओर से

<u>दावा बाबत बंटवारा एंव स्थायी निषेधाज्ञा [illegible] धारा 53, 188</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:35 IST
Reason: SelfAttested

21/02/24

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला—नीमकाथाना

-:: निर्णय ::-

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 732 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 755 रकबा 1.25 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.33 हैक्टर तन् ग्राम बागरियावास पटवार हल्का बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित होकर खातेदारी वादीगण समस्त के नाम 1/2 हिस्से की तथा प्रतिवादीगण नम्बर 1 ता 4 के नाम 1/2 हिस्से की खातेदारी राजस्व रिकार्ड के अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वर्णित भूमियो की खातेदारी उक्त दर्ज हिस्से अनुसार संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, परन्तु मौके पर उक्त भूमियो का वादीगण प्रतिवादीगण से काफी समय से बाह्मी बंटवारा कर भूमियो को मौके पर अलग-अलग कर वादीगण एवं प्रतिवादीगण काबिज काश्त व आबाद चले आ रहे है तथा उक्त भूमियो के राजस्व रिकार्ड में खातेदारी संयुक्त रूप से दर्ज होने के कारण वादीगण को अपने हक हिस्से एंव अधिकार में बाह्मी बंटवारे में आयी हुयी भूमियो का समुचित उपयोग-उपभोग एंव विकास करने में कठिनाईया आ रही हैं तथा बाह्मी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद अपने हक हिस्से एंव अधिकार की भूमियो का वादीगण कराने के कानूनन अधिकारी हैं। वादग्रस्त भूमियो का वादीगण एंव प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर बाह्मी बंटवारा कर काबिज काश्त है तथा बाह्मी बंटवारे के अनुसार वादीगण के उक्त भूमि खसरा नम्बर 755 रकबा 1.17 हैक्टर भूमि हिस्से में आयी हुयी है। उपरोक्त बाह्मी बंटवारा के अनुसार पक्षकारान वादीगण एंव प्रतिवादीगण मौके पर काबिज काश्त एंव आबाद चले आ रहे है तथा इसी अनुसार बंटवारा किया जाकर अलग-अलग राजस्व रिकार्ड कायम कर दिया जाना तथा अलग-अलग नक्शा में तरमीम किया जाना तथा अलग-अलग [illegible] कायम किया जाना आवश्यक है तथा वादीगण उपरोक्त बाह्मी बंटवारा संलग्न नजरी नक्शे अनुसार भूमियो का विभाजन करवाने के कानूनी अधिकारी है। वादीगण ने भूमि अपने हिस्से व अधिकार में बाह्मी बंटवारे के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:35 IST
Reason: SelfAttested

21/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

अनुसार आयी हुयी है। वादीगण अपने हक हिस्से व अधिकार में आयी अपनी भूमियो में अलग से सीव नींव कायम कर अलग से सीमाओ से सुरक्षित कर रखा है व वर्तमान स्वरूप मे भूमियो को विकसित कर उपयोग– उपभोग करते चले आ रहे है। जिसमें किसी भी प्रकार की दखल एंव खलल करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को नही है, ना ही बाह्मी बंटवारा भंग कर वादीगण की भूमियो को खुर्द–बुर्द, रहन, व्ययन करने के कानूनी अधिकार प्रतिवादीगण को प्राप्त है तथा ना ही नीवं सींव को तोड़कर भूमियो पर जबरन कब्जा करने के अधिकार प्रतिवादीगण को संयुक्त खातेदारी की आड में प्राप्त है। वादीगण अपनी भूमियो की खातेदारी संलग्न नजरी नक्शे बाह्मी बंटवारा के अनुसार भी राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से अलग से दर्ज करवाने के कानूनन अधिकारी हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि की बंटवारे के अनुसार खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादीगण के अलग से नाम दर्ज नही हुयी है तथा ना ही राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेश में अलग से अंकन हुआ है। इसके अभाव में वादीगण अपनी भूमियो का एक खातेदार काश्तकार को सुविधाये उपलब्ध होती है उनको प्राप्त करने के लिये वंचित हो रहे है तथा अपनी भूमियो का समुचित विकास करने में कठिनाईया आ रही है। इसलिये खातेदारी अलग दर्ज कराया जाना आवश्यक है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार वादीगण के बाह्मी बंटवारे से दर्शित भूमिया है। उनको अपने नाम अलग से दर्ज करवाने बाबत कहने पर प्रतिवादीगण पहले तो हां करते रहे एंव आश्वासन देते रहे परन्तु अब भूमियो की बढ़ती हुयी कीमतो के कारण वादीगण की भूमियो पर प्रतिवादीगण की गलत नजर हो गयी है तथा वादीगण को आये दिन हैरान परेशान करते है तथा धमकी देने लगे है कि हम संयुक्त खातेदारी की आड़ में वादीगण के बाह्मी बंटवारे में आयी हुयी भूमियो को दीगर भूमाफियावृति के लोगो को बैचान करेगें तथा बाह्मी बंटवारे के अनुसार वादीगण के हक हिस्से व अधिकार की भूमियो की नींव सींव [illegible] तथा बाह्मी बंटवारा भंग कर वादीगण को काश्त नही करने देगें एंव उपयोग उपभोग [illegible] की धमकी देना चालू कर दिया है जिनका उनको किसी प्रकार का कोई अधिकार नही है। इसलिये प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कि[illegible] जाना न्यायोचित है। दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न रूपेण डिकी फरमाया जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सत्यमेव जयते

21/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

बाबत बंटवारा इस आशय की फरमायी जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 732 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 755 रकबा 1.25 हेक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.33 हैक्टर तन् ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान का उक्त वर्णित अनुसार वादीगण को भूमि खसरा नम्बर 755 रकबा 1.17 हैक्टर का काबिज खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर अलग-अलग राजस्व रिकार्ड बनाया जाकर लगान कायम किया जावे तथा अलग-अलग नक्शे में तरमीम किया जावे तथा अलग से बट्टा नम्बर डाला जाकर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे एंव रहन जिस पक्षकार का है उस पक्षकार के हिस्से में रहन रखा जावे। प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबन्धित फरमाया जावें कि उक्त वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 732 रकबा 1.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 755 रकबा 1.25 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.33 हैक्टर तन् ग्राम बागरियावास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर में वादीगण के हक हिस्से में आयी हुयी भूमि के वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जे काश्त एंव उपयोग-उपभोग में कोई मजाहमत ना तो स्वयं करें ना ही दीगर से करावें, ना ही उक्त भूमि के किसी भी भू भाग पर कच्चा या पक्का निर्माण कार्य नहीं करे, ना ही दीगर से करावे, ना ही दीगर अजनबी, भूमाफियावृत्ति के लोगो को किसी प्रकार से विक्रय पत्र, इकरारनामा, दानलेख, से अन्तरित करें, ना ही भूमि मुतनाजा को या उसके किसी भाग को दीगर किसी को रहन रखें, ना ही भूमि मुतनाजा के किसी विशिष्ट भाग पर कोई अवैध कब्जा आदि करने का प्रयास करें, ना ही ऐसा कोई कृत्य करे या कारने बाबत प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाये जाने का निवेदन अपने वादपत्र में किया है। दावा वादीगण बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के बंटवारा चाहने एंव प्रतिवादीगण को स्थाई निशेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:35 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादीगण के [illegible] को [illegible] किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन [illegible] संख्या 1 लगायत 4 की तामील साधारण तरीके से करवाने पर इनके [illegible] होने से इनकी तामील नहीं होने पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का जयपुर का सही पत्ता पेश करने पर प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 व 6 की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाई

21/02/24
दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

गई व प्रतिवादीगण संख्या 05, 07 व 08 की तामील साधारण तरीके से करवाई गई। बावजूद तामील के हाजिर अदालत नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या– 1 लगायत 8 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में वकील वादीगण ने प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वादीगण के पक्ष में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने तथा प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने बाबत् निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील वादीगण ने प्रकरण में पक्षकारान के राजस्व रिकार्ड मे दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमती व्यक्त कर दिये जाने से वादपत्र के बंटवारा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री किये जाने हेतु बहस एकपक्षीय सुनी गई। प्रकरण में वकील वादीगण के निवेदन पर प्रकरण में विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मॅगवाये जाने हेतु न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिकी दिनांक 14.12.2023 को जारी की गई थी।

प्रकरण में प्रारम्भिक डिकी दिनांक 14.12.2023 को जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम / न्याया / स्था / प–51 / 2008 / विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिकी जारी की जाकर जरिये पत्र कमांक 88 / रीडर / 2023 दिनांक 02.01.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग–अलग रंगों मे तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई थी। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के जरिये [illegible] / भू.अ. / 2024 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा प्राप्त हुये। [illegible]

वकील [illegible] प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:35 IST
Reason: SelfAttested

21/02/24
दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

वादीगण ने सहमत होते हुए उसके अनुसार वादपत्र मे आज ही बहस सुनी जाकर प्रकरण मे अन्तिम डिकी जारी किये जाने का निवेदन वकील वादीगण ने किया। वकील वादीगण ने प्रारम्भिक डिकी की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व कुर्रेजात रिपोर्ट मे अंकित विवरणानुसार अन्तिम डिकी जारी किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। अतः वकील वादीगण के निवेदन की सहमति के आधार पर प्रकरण के बंटवारा से सम्बन्धित होने से अन्तिम डिकी जारी किया जाना न्यायहित में उचित समझता हूँ।

क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुए बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार पत्रांक कमांक/भू.अ./24/229 दिनांक 09.02.2024 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है:–

जमाबंदी के अनुसार ग्राम बागरियावास का विभाजन प्रस्ताव :–

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

खाता संख्या	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रू. मे)
1	ओमप्रकाश सिंह पुत्र समुन्दर सिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपूत	732	1.08	चाही–2	20.01

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना) सत्यमेव जयते

21/04/24

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

भोपाल सिंह पुत्र समुन्दर सिंह हिस्सा 1/10 राहिन BRKGB श्रीमाधोपुर जाति राजपूत गोविन्द सिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/4 जाति राजपूत दयाल सिंह पुत्र समुन्दर सिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपूत रामप्रताप सिंह पुत्र दातार सिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत लक्ष्मण सिंह पुत्र दातार सिह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत विक्रम सिंह पुत्र समुन्द्र सिंह हिस्सा 1/10 जाति राजपूत संग्राम सिंह पुत्र समुन्दर सिंह हिस्सा 1/10 राहिन केनरा बैंक शाखा श्रीमाधोपुर जाति राजपूत सुमनकंवर पुत्री दातार सिंह हिस्सा 1/12 जाति राजपूत	755	1.25	चाही–2 0.5000 जाव–2 0.7500	9.27 5.54
				34.82

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:35 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 21/02/24

दिलिप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

... के अनुसार ग्राम बागरियावास के खसरा नम्बर 732 व 755 का विभाजन प्रस्ताव –

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

	काश्तकारो के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रू. पै.)
1	1. दयाल सिंह पुत्र समुन्द सिंह हिस्सा 1/5 2. विकम सिंह पुत्र समुन्दर सिंह हिस्सा 1/5 3. संग्राम सिंह पुत्र समुन्दर सिंह 1/5 राहिन केनरा बैंक शाखा श्रीमाधोपुर 4. गोपाल सिंह पुत्र समुन्दर सिंह हिस्सा 1/5 राहिन **BRKGB** शाखा श्रीमाधोपुर 5. ओमप्रकाश सिंह पुत्र समुन्दर सिंह हिस्सा 1/5 समस्त जाति राजपूत	732 755/1	1.08 0.0550	चाही–2 चाही–2 0.0550	20.0[illegible]
		कुल किता–2	1.1350		
2	1. गोविन्द सिंह पुत्र मांगू सिंह हिस्सा 1/2 2. रामप्रताप सिंह पुत्र दातार सिंह हिस्सा 1/6	755/2	1.1950	[illegible]–2 0.7500	

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:35 IST
Reason: SelfAttested

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला–नीमकाथाना

3. लक्ष्मण सिंह पुत्र दातार सिंह हिस्सा 1/6 4. सुमन कंवर पुत्री दातार सिंह हिस्सा 1/6 समस्त जाति राजपूत			चाही–2 0.4450		

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये क्रमांक/भू.अ./24/229 दिनांक 09.02.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 21/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 21.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 21/02/24

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

दिलीप सिंह
उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर
जिला-नीमकाथाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.02.23 10:38:35 IST
Reason: SelfAttested